

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, दफा २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो INDIRA VARMA

ASSH Manager

संयोजक क्रमांक 7425/-

दिनांक 6.2.2011

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्गीकरण मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका आधिकारिक कर्मचारी के नाम लिखा है	उसी प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा वर्णन की तारीख और किससे प्राप्त की गई हो सम्पत्ति का	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिकृत
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>N/C</u>							

• • • जहां लागू न हो काट दीजिए।
 • • • ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में अनुमान मूल्य लगाया जाए।
 • • • दफा में अक्षरमालीन पदों की उपयोगिता है।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश आताकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 78(3) का अधीन राज्य सेवा, जिसमें वर्णन किया हुआ है कि सेवा का स्वरूप संदर्भ में यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक भारत महीना की अवधि के पहला/दूसरा मास/पत्र 31 पर उल्लेख की जाए

Indira
Indira Varma
Assistant Manager